न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अमरपाटन
जिला सतना (म.प्र.)

B.A. No. 125/2026
Filing No. 2041/2026
CNR No. MP-1905-002434-2026
Date of Registration 17-08-2026

1. दीपक चतुर्वेदी पिता अवधेश चतुर्वेदी, उम्र 35 वर्ष, हाल पेशा कृषि सा. बिछिया खुर्द पुलिस थाना ताला जिला मैहर म.प्र. ..... **आवेदक / अभियुक्त**

विरुद्ध

2. म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केंद्र ताला

..... **अनावेदक / राज्य**

आदेश
(आज दिनांक–21.08.2026 को पारित)

आवेदक / अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. चतुर्वेदी उपस्थित।

अनावेदक / राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार पटेल उपस्थित।

माननीय **उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के MCRC No. 8227/2023 दीपक विरूद्ध म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023** के पालन में जमानत आवेदन के संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

जमानत आवेदन पत्र	125 / 2026
जमानत आवेदन संस्थित दिनांक	17.08.2026
अपराध की दिनांक	01.03.2026 से 30.06.2026
अपराध क्रमांक	262 / 2026
धारा	318(4), 316(5), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3 / 7 आ. वस्तु अधि.
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का दिनांक	14.08.2026
पुलिस आरक्षी केंद्र	ताला
गिरफ्तारी दिनांक	14.08.2026
न्यायिक अभिरक्षा	दिनांक 15.08.2026 से निरंतर
अनुसंधान की स्थिति	अपूर्ण

अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	निरंक
पूरक अभियोग पत्र क्रमांक	निरंक
आपराधिक रिकार्ड	हां

यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (पूर्व धारा 439 द.प्र.सं.) का थाना ताला के अपराध क्रमांक 262/2026 के अभिलेख तथा आरक्षी केन्द्र ताला जिला मैहर के अपराध क्रमांक 262/2026 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सम्मानीय न्यायदृष्टांत **मुन्नेश विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील नं. 1400/2025 आदेश दिनांक 03.04.2025** में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक/आरोपी के आपराधिक रिकार्ड संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	एफ.आई.आर.नं	धारा
01.	263/26	318(4), 316(5), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/7 आ. वस्तु अधि.
02.	125/23	3/7 आ. वस्तु अधि.
03.	255/21	धारा 294, 506, 34 ता.हि.

जमानत आवेदन–पत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक के अभिकथन :–

आवेदक/अभियुक्त दीपक चतुर्वेदी की ओर से नियमित जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (पूर्व धारा 439 दं.प्र.सं.) के संबंध में अभियुक्त की ओर से शशिकांत द्विवेदी द्वारा शपथ–पत्र सहित पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र होना तथा अन्य कोई प्रथम जमानत आवेदन–पत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं होना और न ही निराकृत होना बताया गया है। उसने प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री डी. के. चतुर्वेदी एवं उनके सहयोगियों को नियुक्त किया है।

आवेदक/अभियुक्त दीपक चतुर्वेदी की ओर से जमानत आवेदन पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इन आधारों पर पेश किया गया है कि पुलिस थाना ताला द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने पर अभिरक्षा में मैहर उपजेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना ताला के अपराध क्र. 125/23 दिनांक 18.05.2023 को सहायक आपूर्ति अधिकारी वृजेन्द्र जडिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई

थी, तब से आवेदक किसी पद पर नहीं है। उसके पिता विक्रेता है, जिस कारण रंजिशवश रिपोर्ट दर्ज की गई है। सन् 2023 से आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी भी सहकारी दुकान का संचालन नहीं किया गया। उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता। आवेदक स्थानीय क्षेत्राधिकार का निवासी है, जहां वह सपरिवार निवासरत है, वह कही फरार नहीं होगा। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। उपरोक्त आधार पर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रतिभूति पर उन्मुक्त किये जाने बाबत आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन की आपत्तिः—

पुलिस थाना ताला की ओर से आपत्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं अपर लोक अभियोजक द्वारा यह आपत्ति की गई है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर वह साक्षियों को प्रभावित करेगा, उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन नहीं है। इस संबंध में ऐसे कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं कि पूर्व में कोई जमानत आवेदन किसी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से निराकृत हुआ है या लंबित है, जिससे कि यह प्रथम जमानत आवेदन प्रतीत होता है।

अभियोजन की कहानीः—

केस डायरी में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2026 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कनिष्ठ अधिकारी अमरपाटन द्वारा बहुउद्देशीय सेवा सहकारी समिति रामगढ द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान बिधुईखुर्द कोड क्र. 1207034 की आकस्मिक जांच में पाया गया कि विक्रता के सहायक विक्रेता द्वारा मार्च 2026 से जून 2026 तक हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट मशीन में लगवाया गया, परन्तु उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया। उक्त चार माह का खाद्यान्न व्यपवर्तित किया गया, जिसमें गेहूं, चावल, नमक व शक्कर शामिल है, जिसकी कुल कीमत 12,92,987.79 रूपये अनुमानित है। दुकान माह में दो या तीन दिन में खोली जाती है। दुकान का लाइसेंस भी नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त दीपक चतुर्वेदी के खिलाफ प्रतिवेदन थाना में प्राप्त होने पर धारा 318(4), 316(5), 3(5) बी.एन.एस. एवं

3/7 आ. वस्तु अधि. का अपराध पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जमानत आदेश के आधारः—

उभयपक्ष के तर्क के प्रकाश में केसडायरी, पत्रावती एवं आवेदन पत्र पर विचार किया गया। केसडायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त अपराध में आरोपी दीपक चतुर्वेदी को दिनांक 14.08.2026 गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन के न्यायालय में रिमाण्ड ड्यूटी में पेश किये जाने से उन्हें अभिरक्षा में भेजा गया, तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। तर्क के दौरान अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अपराध क्र. 125/23 पंजीबद्ध हुआ था, जब से वह सहकारी बहुउद्देशीय दुकान में कार्यरत नहीं है। प्रकरण में विवेचना जारी है तथा एक आरोपी अवधेश चतुर्वेदी फरार है। आवेदक/आरोपी द्वारा प्रस्तुत तर्क गुणदोष की विषय वस्तु है। जमानत आवेदन के निराकरण के स्तर पर साक्ष्य की मिमांसा नहीं किया जाना है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार के उपरांत अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः **अभियुक्त दीपक चतुर्वेदी** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ केस डायरी वापस की जाकर पावती ली जावे।

प्रकरण का परिणाम दायरा पंजी एवं सी0आई0एस0 में दर्ज कर अभिलेखागार में संचित किया जावे।

MANVENDRA PAWAR

Digitally signed by MANVENDRA PAWAR
Date: 2026.08.21 18:06:10 +0530

(मानवेन्द्र पवार)
प्रथम अपर सत्र जिला न्यायाधीश
अमरपाटन, जिला सतना म.प्र.